दिनांक 04.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी मिस्सरपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा मिस्सरपुर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में बाल कुमारी मंदिर, परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 04.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुकम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के,मिस्सरपुर के निकट गंगा नदी पर स्थित है एंव उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश अतंर्राज्य सीमा 10 कि0मी0 त्रिज्या के भीतर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 74.208 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 4 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विक्रास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि `प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 6.31 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री मनोज कुमार चौहान द्वारा बताया गया, कि वर्तमान सुनवाई स्थल के पास ग्राम हादिपुर पूर्ण रूप से गंगा नदि के मुख्य मार्ग बदलने के कारण समाप्त हो चुका है तथा गंगा का तल मध्य भाग में उंचाई होने के कारण किनारों पर बसे जंगल एवं ग्राम भूमि में कटाव हो रहा है। नदि की धारा अपने मूल स्वरूप में बहे इसके लिये वैज्ञानिक तरीके से खनन किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र में खनन न होने के कारण जो जंगलों का नुकसान हुआ है, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया है। पूर्व में सूचारू रूप से खनन होने के कारण कोई भी कटान नही हुआ है एवं न ही खनन होने से भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता पर प्रभाव पडता है जिस हेतु उनके द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में बह रही गंग नहर का उदाहरण दिया गया है। पूर्व में गढवाल मंडल विकास निगम के माध्यम से खनन मैन्यूवल तरीके से होता था एवं उसके पश्चात् खनन मशीनों के द्वारा हुआ जिससे नुकसान हुआ है। अतः जे0सी0बी0 द्वारा खनन पूर्ण रूप से बन्द होना चाहिये। साथ ही साथ जिस किसान की जमीन का कटान हुआ, उसका मुआवजा भी दिया जाना चाहिये। खनन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक, सरकारी एजेन्सी के माध्यम से ही होना चाहिये।
2. श्री विकम एवं श्री तेज सिंह कश्यप द्वारा बताया गया, कि विगत 10 वर्षों मे स्थानीय जमीन का अत्यधिक कटाव हुआ है। शासन स्तर से उक्त हेतु कोई मुआवजा भी नही दिया जाता है। खनन बन्द होने से व जमीन न होने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः खनन आवश्यक रूप से खुलना चाहिये।
3. स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द, मातृ सदन हरद्विार द्वारा बैठक के समय एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसको कार्यवृत्त का भाग बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया, कि

- कार्यदायी संस्था को उनके द्वारा प्रेषित दिनांक 03.01.14 के पत्र का कोई जवाब नही दिया गया है, जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया, कि उनको पूर्व में हुई लोक सुनवाई के समय जवाब प्राप्त कराया जा चुका है।
- स्वामी जी द्वारा इस बात पर जोर दिया गया, कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने जवाब में स्वयं कहा है, कि पत्थर एवं बोल्डर्स उपर से बहकर नही आते है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु पुनः स्टडी कराकर वाछित कार्यवाही की जाये।
- गंगा में मात्र रेत एवं मिट्टी का मिश्रण ही आता है, जो कि गंगा की धारा से किनारों पर एकत्र होता रहता है।
- उत्तर प्रदेश शासन के वर्ष 1952 के शासनादेश के बारे में भी बताया गया, जिसमें लिखा है, कि कुम्भ क्षेत्र में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में पत्थर एवं बोल्डर्स हटाने को प्रतिबन्धित किया गया है।
- खनन 1996–1998 की अवधि में हुआ जिसके प्श्चात नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार की रिपोर्ट दिनांक 16.06.1999 में बताया गया है कि खनन से प्र्यावरण को नुकसान है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रस्ताव में बताया गया है कि खनन न होने से गंगा में मलबा बढेगा परन्तु ऐसा नही है। उनके द्वारा वर्ष 2003 एवं वर्ष 2010 की सैटेलाइट इमेंज प्रस्तुत की गयी जिसमें खनन के कारण हुये नुकसान को देखा जा सकता है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा 09.12.13 को जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय का पत्र लिखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर वन्य जीव जन्तु बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नही है, जबकि ऐसा कोई नियम अथवा कानून नही है जो इस तरह का प्रावधान सूचित करता हो।
- दिनांक 10.012.10 में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुसार कुम्भ मेला क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु खनन व कशिंग बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत है।

- माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या–03/2011 में दिनांक 26.05.2011 के आदेश में भी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश को उचित ठहराया गया है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रस्ताव में परियोजना क्षेत्र के जो अक्षांश दिये गये है, वे गलत हैं। दिये गये अक्षाशों में मिस्सरपुर/अजीतपुर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी आते है।
- दिनांक 27.05.1998 में प्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि जंगली जीव–जन्तुओं के संरक्षण हेतु खनन क्षेत्र में वाहनों का आवागमन रोका जाये।

उपरोक्त के आधार पर स्वामी दयानन्द द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्ण स्टडी कराये बिना भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये इसकी स्टडी को चुनौती दी है।

4. श्री सुनित जायसवाल द्वारा दिनांक 10.12.10 के उत्तराखण्ड शासन के कुम्भ क्षेत्र में खनन बन्द सम्बन्धी आदेशों के कम में हरिद्वार विकास प्रधिकरण द्वारा हरिद्वार महायोजना में प्रस्तुत नक्शा अनुमोदित दिनांक 08.11.12 में यह चिन्हित है कि वर्तमान प्रस्तावित खनन क्षेत्र कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत नही है।
5. श्री मनोज कुमार द्वारा पुनः कहा गया, कि यदि गंगा में आने वाला मलबा दोनो किनारों पर जमा हो रहा है तो तटबन्ध टूट क्यों रहे है। मातृ सदन संस्था के समीप बहने वाले नालों के सम्बन्ध में कोई आन्दोलन नही होता है, जबकि आज सुनवाई स्थल के समीप बहने वाली गंगा में गन्ने की फसल के उपर पत्थर जमा हो गये है जो कि बह कर ही आये है। इस पर स्वामी दयानन्द द्वारा बताया गया कि तटबन्ध टुटने का कारण मिट्टी के गंगा के वेग को सहने की क्षमता में कमी के कारण है, जिससे तटबन्धों के पत्थर निकल जाते है।
6. श्री मायाराम, अजीतपुर द्वारा बताया गया कि यदि पत्थर उपर से बहकर नही आ रहा है, तो कहा से आ रहा है। खनन होने के कारण ही गंगा की धारा अविरल होती है। अन्यथा तटबन्ध टूटने का खतरा है। खनन वैज्ञानिक तरीके से एवं संरकारी संस्था के माध्यम से ही होना चाहिये।
7. श्री प्रवीन चौहान द्वारा इस बात पर जार दिया गया कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि खनन का कार्य नदि के तटबन्धों से 200 मीटर अधिक की दूरी पर हो।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा गंगा नदी मिस्सरपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर मात्र एक व्यक्ति, स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द द्वारा हाथ उठाकर खनन के विरोध में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय उपरोक्त एक व्यक्ति के अतिरिक्त उपस्थित अन्य समस्त जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर खनन का समर्थन किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुकम में वैज्ञानिक तरीके से गंगा नदी मिस्सरपुर से उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढ़कर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

①

त गंगा
आहूत

दिनांक 04.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी मिस्सरपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

कम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	ब्रह्मचारी दयानन्द मातृ सदन जगजीतपुर कनखल, हरिद्वार	ब्र0 दयानन्द
2	मनोज कुमार चौहान ग्राम पंचायत [illegible]	[illegible]
3	Kavneet Cheema A.D.M (F)	[illegible]
4	Ankur Kansal AO UEPPCB, RCG	[illegible]
5	RAKESH KANDARI ARB UEPPCB	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	Praveen Chauhan	[illegible]
8	Rajesh jaiswal	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	एम0 पी0 [illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	रामवीर	रामवीर
13	राजेश कुमार	R [illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible] पंजनहेड़ी	[illegible]
16	सुनील जायसवाल [illegible] चुगान संघर्ष समिति [illegible]	[illegible]
17	[illegible]	
18	नवीन चौधरी	N.P [illegible]

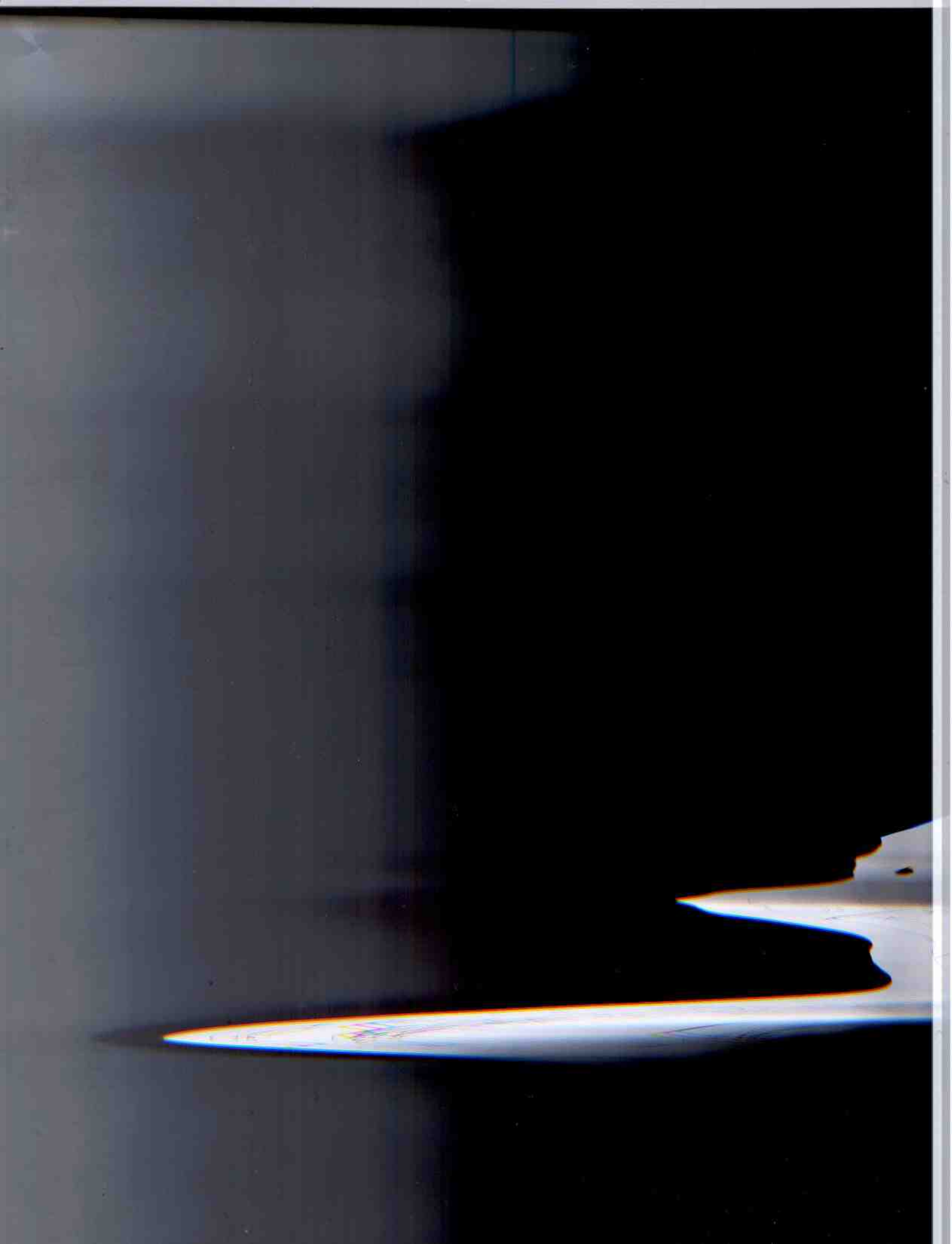

क्रम सं0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	पुनीत	PUNIT
20	शेर सिंह	शेरसिंह
21	ललित शर्मा	[illegible]
22	विजय	विजय
23	बिजपाल	बिजपाल
24	[illegible]	[illegible]
24	आशीष	[illegible]
25	Navneet Singhal	[illegible]
26	रनजीत रकोला	[illegible]
27	रमन कुमार	Raman
28	गुरदित्ता सिंह	Gurditta Singh
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
32	Sudhir Jaiswal	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
34		
35	[illegible]	[illegible]
36	दीपक	दीपक
37	मोनू	मोनू
38	Monish	Monish

क्रम सं०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
39	Deepak	Deepak
40	रवि	रवि
41	रजत	रजत
42	नाथी राम	नाथी राम
43	अनिल	Anil
44	आजाद	आजाद